राष्ट्रीय तापीय शक्ति निगम

बनाम

जवाहर लाल और अन्य

28 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और तरुण चटर्जी, जे.जे.]

श्रम कानूनः

उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 6 एन-कामगार की सेवाओं की समाप्ति - दिए गए नोटिस के बदले में एक महीने के लिए कोई वेतन नहीं - कोई छंटनी प्रतिकर की पेशकश नहीं -अभिनिर्धारित, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिक को कहीं और लाभकारी रूप से लगाया गया था, बहाली का निर्देश बिना बकाया वेतन के बनाए रखा जाता है।

अपीलार्थी निगम द्वारा प्रत्यर्थी नं.1 को सर्वे बॉय के रूप में आकस्मिक आधार पर दिनांक 03.09.1997 को काम पर लगाया गया था। उसकी सेवाओं को दिनांक 15.2.1981 को समाप्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4- के तहत श्रम न्यायालय को एक निर्देश किया गया था, जिसने माना कि श्रमिक ने एक वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और अधिनियम की धारा

6 एन की आवश्यकताओं की अनुपालना नहीं की गयी, सेवा समाप्ति का आदेश शून्य था। श्रम न्यायालय ने कर्मचारी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। नियोक्ता की रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद, उसने वर्तमान अपील दायर की।

न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, अभिनिधारित कियाः

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर ली थी, बिना किसी आधार के निकाला गया था। श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कोई वैकल्पिक नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया, वह भी अभिलेख के विपरीत है। लेकिन श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि कामगार को नोटिस के बदले एक माह का वेतन और छंटनी प्रतिकर की पेशकश की गई थी, जिसे उसने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। ये तथ्यात्मक निष्कर्ष है और अपीलार्थी इससे विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं कर सका है। अतः श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश उचित प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में इस तथ्य के आधार पर कि कामगार कहीं और लाभप्रद रूप से कार्यरत

था, बहाली का निर्देश बनाए रखा जाता है, लेकिन बिना किसी बकाया वेतन के। [पैरा 9 और 10] [482-ए-डी]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 1600 सन 2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध रिट याचिका संख्या 10196 सन 1983 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2005 से।

अपीलार्थीगण के लिए एस. के. ढींगरा और शेफाली ढींगरा प्रत्यर्थीगण के लिए भरत संगाल।

न्यायालय द्वारा न्यायाधीश **डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा** निर्णय पारित किया गया।

अनुमति दी गयी।

इस अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने वाले इलाहबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई है।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'यू. पी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित), की धारा 4 के के तहत श्रम न्यायालय, इलाहाबाद (इसके बाद 'श्रम न्यायालय' के रूप में संदर्भित) को एक निर्देश किया गया। जिसमें निम्निलिखित विवादों को निर्णय के लिए भेजा गया था, कि "क्या नियोक्ता द्वारा दिनांक 15.2.1981 को श्री जवाहर लाल पुत्र श्री बापाई, सर्वे बॉय की सेवाओं को समाप्त करना न्यायसंगत और/या कानूनी था?"

आवेदक-जवाहर लाल के अनुसार, उसे वर्तमान अपीलार्थी द्वारा सर्वे बॉय के रूप में दिनांक 03-10-1977 से नियुक्त किया गया था और वह सेवा समाप्ति तक निरन्तर सेवा में रहा था। उसने यह कहकर स्थायीकरण की मांग की, कि वह विद्यमान नियमों के अनुसार स्थायी घोषित होने का अधिकारी है। उसने दावा किया कि उसकी सेवायें बिना काेई कारण बताये, बिना किसी पूर्व सूचना या वेतन या छंटनी प्रतिकर के समाप्त कर दी गयी और इसलिए यू.पी.एक्ट की धारा 6 एन का उल्लंघन ह्आ था। वर्तमान अपीलार्थी का कहना था कि निर्देश अवैध था, कामगार ने प्रनिवय्क्ति की कोई मांग नहीं की थी और न ही उसने प्रमाणित स्थायी आदेश के अधीन कोई अपील की। जब सर्वे कार्य आवश्यक था, तब उसे आकस्मिक आधार पर 6/- रूपये प्रतिदिन की दर पर नियुक्त किया गया था आैर जब सर्वे कार्य समाप्त हो गया, तो उसे दूसरे कार्य की पेशकश की गयी, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। उसे एक माह के नोटिस के बदले वेतन और छंटनी प्रतिकर हेत् नोटिस भी दिया गया, जिसे उसने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

आवेदक-जवाहर लाल ने एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अपील केवल स्थायी आदेश के नियम 20 के तहत पारित आदेशों के सम्बन्ध में ही दायर की जा सकती है। चूंकि उसने 240 दिन से अधिक कार्य किया था, यू.पी. एक्ट की धारा 6 एन के प्रावधानों की अनुपालना आवश्यक थी। श्रम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नोटिस का स्वीकार करने और दावे के अनुरूप भुगतान करने से कोई इन्कार नहीं किया गया था, आवेदक एक वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुका था और यू.पी. एक्ट की धारा 6 एन की आवश्यकताओं की अनुपालना नहीं की गयी थी। तदनुसार सेवा समाप्ति का आदेश शून्य माना गया, यह निर्देश दिया गया था कि आवेदक को पूर्ण बकाया वेतन सिहत बहाल किया जाना था। इस अधिनिर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।

रिट याचिका के समर्थन में कई बिंदुओं का आग्रह किया गया था। यह बिन्दु विशेष रूप से आग्रह किया कि प्रत्यर्थी-जवाहरलाल ने नोटिस-वेतन या प्रतिकर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह भी निवेदन किया कि उसे वैकल्पिक नौकरी की पेशकश की गई थी और बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आवेदक-जवाहर लाल ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक की निरंतर सेवा पूरी की थी। वर्तमान प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष श्रम न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि नोटिस के बदले एक

माह के वेतन की पेशकश, छंटनी प्रतिकर और उससे इन्कार को साबित करने हेतु कोई सामग्री नहीं थी। यह भी पाया कि है कि यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वैकल्पिक नियोजन की पेशकश की गई थी और आवेदक ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी की थी। रिट याचिका खारिज की गयी।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सर्वेक्षण कार्य 18 फरवरी, 1981 को पूरा किया गया था। उसे दिनांक 14.02.1981 को नोटिस आैर छंटनी के वेतन तथा वैकल्पिक नियोजन की पेशकश की गई, जिस उसने अस्वीकार कर दिया था और इसलिए दिनांक 15.02.1981 को छंटनी की गई। अपीलार्थी को जवाहर लाल की अन्य संस्था में नियुक्ति के बारे में पता चला। कामगार ने दिनांक 26.5.1984 को उसका नियोजन किया। यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का आदेश दूषित है, क्योंकि निष्कर्ष बिना किसी आधार के निकाले गये और जब अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अन्यथा साबित करती है, तो उच्च न्यायालय को अनुमानिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिये था।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के कुछ निष्कर्ष किसी सामग्री पर आधारित नहीं है। उदाहरणार्थ यह निष्कर्ष कि आवेदक-जवाहर लाल ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक की निरंतर सेवा पूरी की थी। उक्त निष्कर्ष बिना किसी आधार के निकाला गया था। श्रम न्यायालय ने भी इस तरह के निष्कर्ष पर आने के लिए कोई आधार नहीं दिया था। श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष को कि कोई वैकल्पिक नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री यह स्पष्टतः दर्शाती है कि उसे वैकल्पिक नियोजन की पेशकश की गई थी। आवेदक-जवाहर लाल ने इस न्यायालय के समक्ष उसके प्रत्युत्तर हलफनामे में स्वीकार किया है कि प्रस्तावित विकल्प ठेकेदार के पास था, और इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

लेकिन श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस आशय का है, कि यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, कि नोटिस के बदले एक महीने का वेतन और छंटनी प्रतिकर की पेशकश की गई, जिसे जवाहर लाल ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। ये तथ्यों के निष्कर्ष हैं और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इससे विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं कर सके। अतः श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश उचित प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक-जवाहर लाल अन्यत्र लाभप्रद रूप से लगा हुआ था, बहाली का निर्देश, बिना किसी बकाया वेतन के, बनाए रखा जाता है।

उपरोक्त सीमा तक अपील, खर्चे के सम्बन्ध में किसी आदेश के बिना,

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरिश मेनारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।